न्यायालय सहायक जिलाधीश ओसियां जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी रतन लाल रेंगर आर ए एस

अपील संख्या 16 /2011

अपीलांटस –

1. श्रीमति कमला पत्नी उरजाराम जाति जाट (सारण) निवासी ग्राम चामू तहसील बालेसर जिला जोधपुर
2. श्रीमति पेंपो पत्नी नैनाराम जाति जाट (धतरवाल) निवासी ग्राम चामू तहसील बालेसर जिला जोधपुर
3. श्रीमति देवी पत्नी हरजीराम जाति जाट (बेनीलाल) निवासी ग्राम चामू तहसील बालेसर जिला जोधपुर
4. श्रीमति धापुदेवी पुत्री अमराराम जाति जाट निवासी ग्राम चामू तहसील बालेसर जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेंटस–

1. नारायणराम पुत्र अमराराम
2. गंगाराम पुत्र अमराराम
3. रूपाराम पुत्र अमराराम
4. सैंसारामपुत्र अमराराम
   जातियान जाट निवासीयान ग्राम चामू तहसील बालेसर जिला जोधपुर
5. ग्राम पंचायत चैराई जरीये सरपंच ग्राम पंचायत चैराई तहसील ओसियां जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत चैराई द्वारा दिनांक 03.06.2001 को नामान्तरकरण संख्या 2174 में पारित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:56:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक 26/11/19

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांटस के द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की इस आशय की पेश की कि ग्राम चैराई के खसरा संख्या 1593 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा खसरा संख्या 1892 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 26 बीघा 14 बिस्वा, जिसे आगे अपील में विवादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। विवादग्रस्त आराजीयात में अपीलांटस के पिता अमराराम पुत्र रूघनाथराम का 1/4 हक हिस्सा व कब्जा काश्त है। अपीलांटस के पिता का देहान्त वर्ष 2001 में हो गया। अपीलांटस के पिता अमराराम पुत्र रूघनाथराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान में अपीलांटस एवं प्रत्यार्थी सेख्या 01 से 04 है, लेकिन ग्राम पंचायत चैराई ने अमराराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान उतराधिकारियो की विधि अनुसार जांच किये बिना ही अपीलांधिन नामान्तरकरण संख्या 2174 दिनांक 03.06.2001 प्रत्यर्थी संख्या 01 से 04 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जबकि अपीलांटस का ही अमराराम की सम्पति में हक हिस्सा अधिकार हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार बनता है। ग्राम पंचायत में अपीलाधिन नामान्तरकरण विधि विरूद्व तरीके से पारित किया। ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 03.06.2001 नामान्तरकरण संख्या 2174 के विरूद्व अपील पेश की जिसमें आधार बताये कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांधिन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि अपीलांटस खातेदार अमराराम पुत्र रूघनाथराम की जायन्दा पुत्रियां है। विवादग्रस्त आराजियात में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलांटस अमराराम की प्रथम श्रेणी की उतराधिकार वारिसान होने के कारण अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिया जाना कानूनन आवश्यक था। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया। इस कारण अपीलाधिन आदेश विधिक प्रावधानो के विपरित होने के कारण काबिल खारिज है। अपीलाधिन आदेश [illegible] न्यायालय द्वारा खातेदार अमराराम के वारिसान की [illegible] अमराराम की जाईन्दा पुत्रियॉ हो[illegible] के उतराधिकारी वारिसान है, अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित [illegible] से पूर्व वारिसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:56:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उतराधिकारियो की जॉच किये बिना ही जो विधि प्रावधानो के विपरित आदेश पारित किया है। खारिज फरमाया जावे। अन्त में अपीलांटस की इस्तदुआ चाही गयी कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधिननस्थ न्यायालय का अपीलांधिन नामान्तरकरण संख्या 2174 दिनांक 03.06.2001 को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण तहसीलदार ओसियां को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिया जावे कि अपीलांटस का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।

उक्त अपील के साथ अपीलांटस द्वारा धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जिसमें उक्त अपीलाधिन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांटस को दिनांक 13.04.2011 को हल्का पटवारी से विद्युत कनेक्शन लेने हेतु जमाबन्दी की नकल लेने पर हुई होना अंकन किया है। अपीलांटस के द्वारा अपील के साथ अपीलांधिन नामान्तरकरण की प्रति पेश की।

उक्त अपील को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेंटस को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसमें रेस्पोडेटस बावजुद तामिल अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात अन्य सह खातेदारो में मगाराम पुत्र धन्नाराम, रिडमलराम पुत्र मूलाराम, मगाराम पुत्र लादुराम की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी पी सी का पेश किया , जिसका जबाव अपीलांटस के अधिवक्ता द्वारा दिया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण न तो वारिसान है। जबकि अपील में अमरराम के वारिसानो का विवाद है। इस कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी पी सी स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नहीं होता अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपी सी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

उक्त नातान्तरकरण स्व. अमरराम का फौतेदगी नामान्तरकरण है। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अमरराम के पूर्ण विधिक वारिसानो की जॉचनहीं कर केवलमात्र रेस्पोडेंटस संख 01 से 04 के ही नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया जाकर स्व. अमर[illegible] वारिसान पुत्रीयाँ अपीलाटस भी है। चूकि अधिनस्थ न्यायालय का [illegible] आदेश प्रारम्भ से ही विधिक प्रावधानो के विप[illegible] [illegible] आदेश है तथा उक्त आदेश की अपील का निस्तारण मेरिट पर किया जा[illegible] उचित प्रतित होता है। इसलिए उक्त अपील को परिसिमा के अधीन लिये जाने के लिए प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:56:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश नामानतरकरण 2174 निरस्त किया जाताहै।

आदेश

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। तथा अपीलाधिन नामान्तरकरण संख्या 2174 निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकारण तहसीलदर ओसियां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रषित किया जाता है। कि अपीलाधिन नामान्तरकरण में वर्णित खसरान की भूमि में मौके पर वास्तविक कब्जे की जॉच कर स्वर्गीय श्री अमराराम के वारिसानो की पूर्ण जॉच कर उभय पक्षकारो के साक्ष्य लेखबद्व कर समुचित सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधिपुर्वक तरीके से उचित निर्णय पारित करे।

उपखण्ड अधिकारी आसियां
जिला जोधपुर

आदेश आज दिनांक 26/11/19 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी आसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:56:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner